न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 36/2022

जुम्मा पुत्र फजरू जाति मेव निवासी ग्राम फतहपुर तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)
2. आंसू
3. नियाज मौहम्मद
4. अख्तर पिसरान मदरू जाति मेव निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील पहाडी
5. इकबाल पुत्र माले खाँ जाति मेव निवासी ग्राम घाटमीका तहसील पहाडी
6. अब्दुला पुत्र सफेदा
7. फारूख पुत्र अतरू
8. आबिद
9. वाजिद
10. साजिद पिसरान रसीद
11. शब्बीर पुत्र छतरू
12. अरसद
13. साबिर
14. रासिद पिसरान बसीर
15. वकील
16. नसीम
17. वसीम
18. शौकीन पिसरान खैरून

अप्रार्थीगण

19. अकबर पुत्र फजरू
20. जुहुरू पुत्र मंगल
21. फतेह मौहम्मद पुत्र मंगल
22. मिसलू पुत्र छोटा
23. जमील
24. सबचैन
25. जफरू पिसरान सुलेमान
26. हसन पुत्र मंगल जातियान मेव निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील पहाडी

तरतीवी पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक :– 19/09/2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 308/0.10, 379/0.77, 383/0.35, 177/0.61 बांके ग्राम फतहपुर तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदार असरफ पुत्र छोटा लावल्द बिला औरत फौत हो चुका है तथा सुलेमान पुत्र लमोड फौत हो चुका है इसलिए इनके वारिसान को मुकदमें तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 23,24, 25 बनाया गया है। जमाबन्दी में दर्ज रहन कर्त्ता , मुराद, चन्दर खां पिसरान धूपला लाबल्द बिला औरत फौत हो चुका है तथा सुफेदा पुत्र कादर भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान को मुकदमें में पक्षकार बनाया गया है। जो अप्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 18 है एवं अप्रार्थी के पिता माले खां भी फौत हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस पक्षकार बनाया गया है। आराजी मुतदाविया पूर्व में प्रार्थी के बुजुर्गान द्वारा अप्रार्थीगण उनके बुजुर्गो को रहन रखा था जिसका नोट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। मुताबिक कानून आराजी मुतदाविया रहन की अवधि पांच वर्ष से अधिक होने के कारण रहन फक हो गई है। जिसकी कार्यवाही का नोट दाखिल खारिज संख्या 01/01/1983 में दर्ज रिकॉर्ड है और कानून के मुताबिक रहन की अवधि पांच वर्ष हो जाने पर अपने आप ही रहन फक हो जाती है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और भूल वश आज तक राजस्व रिकॉर्ड में रहन दर्ज होता चला आ रहा है और आराजी मुतदाविया पर प्रार्थी व तरतीवी पक्षकार का कब्जा काश्त है तथा मुताबिक कानून प्रार्थी जमाबन्दी में भूल वश दर्ज हो रहे रहन व रहन कर्त्ताओं के नाम को कलमजन कराकर रिकॉर्ड में दुरूस्ती करा पाने के अधिकारी है। रिकॉर्ड में रहन व रहन कर्त्ताओं के दर्ज हो रहे नाम का इल्म प्रार्थी को नकल रिकॉर्ड लेने पर हुआ तो प्रार्थी रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 के यहाँ उपस्थित हुआ लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया और न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष उपस्थित आया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी मुतदाविया पर चल रहे रहन व रहनकर्त्ताओं के नाम को कलमजन कर दुरूस्ती करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 09/09/2022 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब इस आशय की पेश किया कि आराजी भूमि पर मौके पर प्रार्थी व तरतीवी पक्षकार का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण का आराजी से कोई लेना देना नहीं है और प्रार्थी की आराजी पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ही रहन फक हो चुकी है। जिसका इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 228 दिनांक 01/01/1983 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन भूल वश आराजी पर अभी तक रिकॉर्ड में रहन व रहन कर्त्ताओं का नाम दर्ज होता चला आ रहा है जो भूल वश दर्ज होता चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की आराजी में चले आ रहे रहन कर्त्ताओं के नाम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 26 न्यायालय में मय वकील उपस्थित आये जबाब प्रार्थना पत्र पेश ना करने के कारण जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया। तहसीलदार ने अपने जबाब से अवगत कराया है कि आराजी भूमि पर मौके पर प्रार्थी व तरतीवी पक्षकार का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण का आराजी से कोई लेना देना नहीं है और प्रार्थी की आराजी पूर्व में ही रहन फक हो चुकी है। जिसका इन्द्राज नामान्तकरण संख्या 228 दिनांक 01/01/1983 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन भूल वश आराजी पर अभी तक रिकॉर्ड में रहन व रहन कर्त्ताओं का नाम दर्ज होता चला आ रहा है जो भूल वश दर्ज होता चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अतः रहन के इन्द्राज को समाप्त किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खाता संख्या 53 एवं 123 में आराजी पर वर्णित रहन एवं रहनकर्ता के नाम कलमजन किये जाते हैं। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner